

5

भाग- II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7	परियोजना / स्कीम का स्थान	(i)	मध्य प्रदेश
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	(ii)	भोपाल जिला
(ii)	जिला	(iii)	वनमंडल का नाम भोपाल / परिक्षेत्र का नाम समर्था / आवेदित क्षेत्र :
(iii)	वन प्रभाग		(अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि :-
			परिक्षेत्र का नाम आरक्षित / संरक्षित वनखण्ड का नाम कक्षा क्रमांक आवेदित क्षेत्रफल (हे.मै)
			- - -
			(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि :-
			परिक्षेत्र का नाम तहसील का नाम ग्राम का नाम खसरा क्रमांक आवेदित क्षेत्रफल (हे.मै)
			समर्था हुजूर श्यामलाहिल्स 91/2 एवं 92/1/1 2.000
			2.000 हेक्टेयर
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)		
(v)	वन की कानूनी स्थिति	(v)	राजस्व वन क्षेत्र
(vi)	वनों का घनत्व	(vi)	आवेदित राजस्व वनक्षेत्र में पहाड़ी एवं लेनटाना है जिसका घनत्व 0.4 से कम है।
(vii)	आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाए। सिंचाई/विद्युत परियोजना के संबंध में एफ. आर. एल., एफ आर एल-2 मीटर और एफ आर एल-4 मीटर पर भी वृक्ष गणना संलग्न किया जाए।	(vii)	आवेदित क्षेत्र में निम्नानुसार प्रमुख वनस्पति प्रजातियाँ पायी जाती है अनु.क्र. प्रजाति का स्थानीय नाम निरंक वानस्पतिक (बाटनीकल) नाम निरंक आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की संख्या निम्नानुसार है :- गोलाई बर्गवार संख्या
			प्रजाति 10-20 21-60 61 से 121 एवं अधिक कुल
			सागौन निरंक निरंक निरंक निरंक

(viii)	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी (वर्तमान भू क्षरण की तीव्रता एवं प्रस्तावित परियोजना में वन क्षेत्र व्यपवर्तन होने पर संभावित भू-क्षरण बावत)	(viii)	भू-संरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।																	
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	(ix)	प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से दूरी लगभग 5 कि.मी. है।																	
	यथा आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है? यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए।	(x)	आवेदित क्षेत्र नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।																	
(xi)	यथा क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ/संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दे।	(xi)	<table><tr><th colspan="2">प्रजाति</th><th colspan="3">स्थिति (कृपया टिक करें)</th></tr><tr><th>अ.क्र.</th><th>स्थानीय नाम</th><th>वैज्ञानिक नाम</th><th>दुर्लभ</th><th>संकटापन्न</th><th>विशिष्ट</th></tr><tr><td>1.</td><td>निरंक</td><td>निरंक</td><td>निरंक</td><td>निरंक</td><td>निरंक</td></tr></table>	प्रजाति		स्थिति (कृपया टिक करें)			अ.क्र.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	दुर्लभ	संकटापन्न	विशिष्ट	1.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
प्रजाति		स्थिति (कृपया टिक करें)																		
अ.क्र.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	दुर्लभ	संकटापन्न	विशिष्ट															
1.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक															
(xii)	यथा कोई संरक्षित पुरात्त्ववीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	(xii)	जी नहीं।																	
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है?		आवेदित भूमि की मांग न्यूनतम है जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।																	

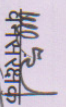
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? (हां/ नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं?	जी नहीं, कोई उल्लंघन का कार्य नहीं हुआ है।								
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा									
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित (बिगड़ा) वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू खण्ड का आकार	(i) प्रतिपूरक वनीकरण जिला भोपाल के वनमंडल भोपाल के अंतर्गत ग्राम अमरावद खुर्द जो वनखण्ड अमरावद से लगा हुआ है, जिसकी वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना चयनित बदले की भूमि खसरा क. 290 / 1 रकबा 4.000 हे. की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संलग्न है। <table><tr><td>वनमण्डल</td><td>वनमण्डल</td><td>खसरा क्रमांक</td><td>क्षेत्रफल (हे.मे)</td></tr><tr><td>भोपाल</td><td>अमरावद खुर्द</td><td>290 / 1</td><td>4.000</td></tr></table>	वनमण्डल	वनमण्डल	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मे)	भोपाल	अमरावद खुर्द	290 / 1	4.000
वनमण्डल	वनमण्डल	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मे)							
भोपाल	अमरावद खुर्द	290 / 1	4.000							
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी (उप वन संरक्षक) का प्रमाण पत्र	(ii) वृक्षारोपण किये जाने वाले क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। तथा वन प्रबंधन की दृष्टि से यह क्षेत्र वृक्षारोपण करने हेतु योग्य है। इस संबंध में वनमंडल अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।								
(iii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर / अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप (गैर वन भूमि भी वन मानचित्र पर दर्शाई जावे) वनीकरण हेतु चयनित भूमि का पी.डी.ए. अथवा मोबाईल मैप से सर्वेक्षित डिजिटल मानचित्र (सॉफ्ट कॉपी) —5 हेक्टेयर से कम के प्रकरणों में 1:3960 स्केल (पटवारी मानचित्र 16 इंच =1 मील) भी संलग्न किया जावे।	(iii) 1:50000 का मानचित्र संलग्न है।								

(iv)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूचित लागत ढांचा आदि	(iv)	वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संलग्न है।																																										
11	उप वन संरक्षक (वनमंडल अधिकारी)की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)		वनमंडलाधिकारी श्री ए.के. सिंह का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक संलग्न है।																																										
12	विभाग / जिला प्रोफाईल																																												
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	(i)	जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 2772.00 वर्ग किमी है।																																										
(ii)	जिले का वनक्षेत्र	(ii)	जिले का कुल वनक्षेत्र 437.82 वर्ग कि.मी. है। (टीप :- इसमें वन विभाग के अधीन वनक्षेत्र/ राजस्व विभाग के अधीन वनक्षेत्र अलग अलग बताया जावे) जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.77प्रतिशत है।																																										
(iii)	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र	(iii)	अभी तक जिले में 15 प्रकरणों में कुल 82.303 है. वनक्षेत्र/राजस्व वनक्षेत्र गैरवाणिज्यिक कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया है।																																										
(iv)	1980 से जिला/ प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (दांडिक प्रतिपूरक वनीकरण सहित)	(iv)	24.10.80 से भारत सरकार/राज्य सरकार/ नोडल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वे) से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक 10 प्रकरणों में एकबा 45.290 हेक्टेयर राजस्व वनक्षेत्र एवं 5 प्रकरणों में एकबा 37.013 हेक्टेयर वन भूमि को प्रत्यावर्तित किया गया है।																																										
			(क) वन भूमि - निरंक (ख) वनोत्तर भूमि पर स्वीकृति अनुसार किया जाने वाला कुल वृक्षारोपण - बदले में प्राप्त गैर वनभूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जायेगा।																																										
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	(v)	अभी तक जिले में निम्नानुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है :-																																										
			<table><tr><th>वर्ष</th><th>दुगने विगडे वन क्षेत्र में (है.मै)</th><th>दण्डस्वरूप वनभूमि पर (है.मै)</th><th>स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (है.मै)</th><th>गैर वनभूमि पर (है.मै)</th><th>योग</th><th>व्यय</th></tr><tr><td>30 जून 2015 की स्थिति में</td><td>निरंक</td><td>निरंक</td><td>3.200</td><td>-</td><td>3.200</td><td>906000 / -</td></tr><tr><td></td><td>निरंक</td><td>निरंक</td><td>3.360</td><td>-</td><td>3.360</td><td>6000 / -</td></tr><tr><td></td><td>निरंक</td><td>निरंक</td><td>0.400</td><td>-</td><td>0.400</td><td>53000 / -</td></tr><tr><td></td><td>निरंक</td><td>निरंक</td><td>3012</td><td>-</td><td>3012</td><td>87019979</td></tr><tr><td>योग</td><td></td><td></td><td>3018.96</td><td></td><td>3018.96</td><td>87984979 / -</td></tr></table>	वर्ष	दुगने विगडे वन क्षेत्र में (है.मै)	दण्डस्वरूप वनभूमि पर (है.मै)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (है.मै)	गैर वनभूमि पर (है.मै)	योग	व्यय	30 जून 2015 की स्थिति में	निरंक	निरंक	3.200	-	3.200	906000 / -		निरंक	निरंक	3.360	-	3.360	6000 / -		निरंक	निरंक	0.400	-	0.400	53000 / -		निरंक	निरंक	3012	-	3012	87019979	योग			3018.96		3018.96	87984979 / -
वर्ष	दुगने विगडे वन क्षेत्र में (है.मै)	दण्डस्वरूप वनभूमि पर (है.मै)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (है.मै)	गैर वनभूमि पर (है.मै)	योग	व्यय																																							
30 जून 2015 की स्थिति में	निरंक	निरंक	3.200	-	3.200	906000 / -																																							
	निरंक	निरंक	3.360	-	3.360	6000 / -																																							
	निरंक	निरंक	0.400	-	0.400	53000 / -																																							
	निरंक	निरंक	3012	-	3012	87019979																																							
योग			3018.96		3018.96	87984979 / -																																							

91

		(क) वन भूमि - निरंक (ख) वनेतर भूमि पर स्वीकृति अनुसार किया जाने वाला कुल वृक्षारोपण - बदले में प्राप्त गैर वनभूमि 3.200 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उप वन सस्त्रक का कारण सहित अभिमत नोट-आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरीत प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्हीं विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का व्यौरा दिया जावे।	ग्राम श्यामलाहिल्स धरमपुरी खसरा क.- 91/2 एवं 92/1/1 रकबा 4.000 है. जिला भोपाल की तहसील हुजूर के श्यामलाहिल्स भोपाल स्थित जंग इनक्लेव से लगी हुई खुली भूमि पर न्यायिक अधिकारियों के लिये आवास निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा की जाती है।

तिथि
स्थान:


 क्षेत्रीय अधिकारी
 एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
 सामान्य वनमण्डल भोपाल